न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 254/09
प्रकरण संख्या: 79/13
जीसीएमएस नं. 2020/00083

दायर दिनांक: 12.11.2009
दायर दिनांक: 13.09.2013

उनवान

1 हरीशंकर उर्फ शिवचरन 2 रामेश्वर उर्फ गुट्टी पुत्रान बाबू लाल जाति ब्राह्मण नि. कस्बा भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादीगण

बनाम

1 श्रीमति मधु पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण नि. मकान नंबर 353 स्कीम नंबर 8 अलवर जिला अलवर राज. 2 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1. श्री सुनील कुमार ––वादीगण
2. श्री देवेन्द्र शरण पाठक ––प्रति.

निर्णय दिनांक 22.04.2025

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 985 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, 986 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा, 991 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 992 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा भुसावर प्रथम के वादीगण 1/2 हिस्सा व प्रतिवादिनी संख्या 1, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है। उक्त आराजी वादीगण के बाबा मांगीलाल पुत्र गणेशी कौम ब्राह्मण नि. कस्बा भुसावर की खातदोरी की भूमि थी, जो उनके मरने के पश्चात विरासतन वादीगण के पिता बाबूलाल व चाचा हीरालाल को वाहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। वादीगण के पिता के फौत होने के पश्चात वादीगण को वाहिस्सा बराबर बतौर वारिसान प्राप्त हुई। वादीगण के चाचा हीरालाल ने अपने निस्फ हिस्से को दिनांक 23.03.2007 को बिना वादीगण की सहमति व बिना विभाजन कराये राज. काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कृष्ण कुमार पुत्र दयाचन्द अहीर नि. काजीपुर नि. नजफगढ नई दिल्ली हाल भुसावर को रजिस्टर्ड वयनामा से बेचान कर दिया जिसका दाखिला खारिज कृष्ण कुमार के नाम तस्दीक हो चुका है। कृष्ण कुमार ने उक्त आराजी मधु पत्नि राजेन्द्र कुमार को बेचान कर दिया। जिसका वयनामा दिनांक 01.10.2009 को राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया। अब प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निस्फ हिस्सा की खातेदारी है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

उक्त दोनों वयनामा राज. काश्तकारी अधिनियम के विपरीत होने के कारण अवैध, शून्य व प्रभावहीन है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को निस्फ हिस्से की खातेदारी में बाधा पहुँचाते है। दिनांक 19.10.2009 को प्रतिवादिनी ने विभाजन से इंकार कर दिया व वादीगण को उनके हिस्से में काश्त नहीं करने देने की धमकी दी व अपने 1/2 हिस्से को दीगर व्यक्तियों को बेचान की धमकी दी, जिसमें प्रतिवादिनी संख्या 1 के सफल होने पर वादीगण को असीम क्षति होगी।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त आराजीयात का कानूनी विभाजन उभय पक्षकारान के मध्य किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादिनी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। दावा एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात निर्धारण कर दिनांक 13.07.2010 को दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/एल.आर./2024/4521 दिनांक 28.11.2024 से प्रस्तुत करने पर हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। उक्त के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/एल.आर./2024/4521 दिनांक 28.11.2024 के अनुसार डिक्री किया जाता है तथा ट्यूबवैल विद्युत कोटरी व पाटौर वादीगण के हिस्से में रखें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री तैयार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)